

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 125—130

Dated 21-01-2012

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक विकास विभाग के अनुसंधान अधिकारी (भर्ती) नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान अधिकारी (भर्ती) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी	4* (चार) (2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', आधार पर अनुसूचिवीय जा सकता है।	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. (ग्रेड वेतन 5400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)

25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसे आर्थिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य एक विषय के रूप में रहा हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या

(iv) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या व्यवसाय संबंधी अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) सरकारी विभागों या संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी निकायों, आदि में संग्रहण, संकलन और सांख्यिकी आकड़े प्रक्रमण में तीन वर्ष का अनुभव।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त या आमेलन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :-

पद को भरने के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (विषय से संबंधित), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —सदस्य

[सं. ए-12018/1/2006-ई-1]

ललित कुमार शर्मा, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

G.S.R. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Industrial Development, Research Officer (Recruitment) Rules, 1979 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Research Officer (Recruitment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	4* (four)/2012 *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 (Grade Pay Rs. 5400)	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Two years for promotees	

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In the case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorptions is to be made

(10)

25% by promotion failing which by deputation
75% by deputation or absorption.

(11)

Promotion :

Economic Officer in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 with three years regular service in the Grade and possessing a degree with Statistics or Mathematics or Economics or Commerce as one of the subjects from a recognized University.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation or Absorption:

Officers of the Central Government—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

- (i) post-graduate degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognized University;
- (ii) three years' experience in Collection, Compilation and Processing of Statistical Data in Government Departments or Organizations, Public Sector Undertakings or Statutory Bodies etc.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation or Absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same

562025/12-2

(11)

or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

Note : For the purpose of appointment on Deputation/ Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and there this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—

Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up the post on each occasion.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Admn.), Department of Industrial Policy & Promotion | —Member |
| 3. Joint Secretary (dealing with the subject) Department of Industrial Policy & Promotion | —Member |

[No. A-12018/1/2006-E.I]

L. K. SHARMA, Under Secy.